



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-04082025-265193
CG-DL-W-04082025-265193

xxxGIDExxx

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 7] नई दिल्ली, जुलाई 27—अगस्त 2, 2025, शनिवार/ श्रावण 5—श्रावण 11, 1947
No. 7] NEW DELHI, JULY 27— AUGUST 2, 2025, SATURDAY/SHRAVANA 5— SHRAVANA 11, 1947

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii)
PART II—Section 3—Sub-section (iii)

केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए साधारण आदेश और अधिसूचनाएं
Orders and Notifications issued by the Central Authorities (Other than the Administrations of Union Territories)

भारत निर्वाचन आयोग सचिवालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 जुलाई, 2025

आ.अ. 21.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन के परामर्श से एतद्वारा, श्री मनदीप सिंह बरार, आई.ए.एस के स्थान पर श्री स्वपनिल एम. नाइक, आई.ए.एस. (एजीएमयूटी:2009) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री स्वपनिल एम. नाइक, चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।
3. श्री स्वपनिल एम. नाइक, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, चण्डीगढ़ के रूप में कार्य करते हुए चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र

प्रशासन के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

[फा. सं. 154/CH/2025-P.Admn]

आदेश से,

राहुल शर्मा, प्रधान सचिव

SECRETARIAT OF THE ELECTION COMMISSION OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd July, 2025

O.N. 21.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Administration of the Union Territory of Chandigarh hereby designates Shri Swapnil M. Naik, IAS (AGMUT:2009) as the Chief Electoral Officer for the Union Territory of Chandigarh with effect from the date he takes over charge and until further orders in place of Shri Mandip Singh Brar, IAS.

2. Shri Swapnil M. Naik shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Administration of Union Territory of Chandigarh, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri Swapnil M. Naik while functioning as the Chief Electoral Officer, Chandigarh shall not hold any additional charge whatsoever under the Administration of Union Territory of Chandigarh except that he should be designated Secretary to the Administration of the Union Territory of Chandigarh in charge of Election Department in the Union Territory Secretariat.

[F. No. 154/CH/2025-P.Admn.]

By Order,

RAHUL SHARMA, Principal Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 जुलाई, 2025

आ.अ. 22.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13-क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग कर्नाटक राज्य सरकार के परामर्श से एतद्वारा, श्री मनोज कुमार मीना, आई.ए.एस. के स्थान पर श्री वी. अंबुकुमार, आई.ए.एस. (के.एन.: 2004) को उनके कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से आगामी आदेशों तक के लिए कर्नाटक राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में नामित करता है।

2. श्री वी. अंबुकुमार, कर्नाटक सरकार के अधीन सभी पदभार या किसी कार्य के पदभारों को तत्काल सौंप देंगे या धारण करना समाप्त कर देंगे, जो कि वे ऐसा पदभार ग्रहण करने से पहले धारण कर रहे थे।

3. श्री वी. अंबुकुमार, मुख्य निर्वाचन अधिकारी, कर्नाटक के रूप में कार्य करते हुए कर्नाटक सरकार के अधीन किसी भी प्रकार का कोई अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण नहीं करेंगे सिवाय इसके कि उनको राज्य सचिवालय में निर्वाचन विभाग के प्रभारी, सरकार के सचिव पदाभिहित किया जाएगा।

[फा. सं. 154/KT/2025-P.Admn]

आदेश से,

राहुल शर्मा, प्रधान सचिव

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th July, 2025

O.N. 22.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 13A of the Representation of the People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India in consultation with the Government of Karnataka hereby designates Shri V. Anbukumar, IAS (KN:2004) as the Chief Electoral Officer for the State of Karnataka with effect from the date he takes over charge and until further orders in place of Shri Manoj Kumar Meena, IAS.

2. Shri V. Anbukumar shall cease to hold and hand over forthwith the charge of all or any charges of work under the Government of Karnataka, which he may be holding before such assumption of office.

3. Shri V. Anbukumar while functioning as the Chief Electoral Officer, Karnataka shall not hold any additional charge whatsoever under the Government of Karnataka except that he should be designated Secretary to the Government in charge of Election Department in the State Secretariat.

[F. No. 154/KT/2025-P.Admn.]

By Order,

RAHUL SHARMA, Principal Secy.